भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खण्ड-I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/37/2026-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चतुर्थ तल, जीवन तारा भवन-5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 30.06.2026

जांच शुरुआत अधिसूचना

मामला संख्या: एडी/ओआई/035/2026

विषय: चीन जनवादी गणराज्य तथा यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सायन्यूरिक क्लोराइड के आयातों के संबंध में पाटन-रोधी जांच की शुरुआत के लिए प्रस्ताव।

1. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (समय-समय पर संशोधित) (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पारित वस्तुओं पर पाटन-रोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (समय-समय पर संशोधित) (जिसे आगे "नियमावली" कहा गया है) के प्रावधानों के अनुसार, सुपरफॉर्म केमिस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" कहा गया है) ने नामित प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें चीन जनवादी गणराज्य तथा यूरोपीय संघ (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सायन्यूरिक क्लोराइड (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तुएं" अथवा "पीयूसी" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटन-रोधी जांच प्रारंभ किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पारित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति हो रही है तथा उसने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सायन्यूरिक क्लोराइड है। इस उत्पाद को 2,4,6-ट्राइक्लोरो-1,3,5-ट्रायजीन, 1,3,5-ट्रायजीन, 2,4,6-ट्राइक्लोरो-, एस-ट्रायजीन, 2,4,6-ट्राइक्लोरो- तथा ट्राइक्लोरो-ट्रायजीन के नाम से भी जाना जाता है।

4. यह तीव्र गंध वाला सफेद क्रिस्टलीय कार्बनिक यौगिक है। उत्पाद का आणविक भार 184.41 ग्राम प्रति मोल है तथा इसका गलनांक लगभग 146 डिग्री सेल्सियस है। यह जल में विलेय है तथा 20 डिग्री सेल्सियस पर इसकी घुलनशीलता लगभग 0.44 ग्राम प्रति लीटर है। विचाराधीन उत्पाद का सामान्यतः 99 प्रतिशत सांद्रता (शुद्धता) वाले एक ही रूप में व्यापार किया जाता है।

5. सायन्यूरिक क्लोराइड का मुख्य कार्य विभिन्न डाउनस्ट्रीम रसायनों के निर्माण में एक प्रतिक्रियाशील रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करना है। इस उत्पाद का प्रमुख रूप से उपयोग कृषि रसायन, औषधि तथा रंजक एवं वर्णक उद्योगों में किया जाता है।

6. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की इकाई मीट्रिक टन (एमटी) मानी गई है।

7. विचाराधीन उत्पाद का सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अंतर्गत कोई पृथक टैरिफ कोड नहीं है। विचाराधीन उत्पाद का आयात 2916 39 90, 2933 39 90, 2933 69 10, 2933 69 90 तथा 2933 71 00 के अंतर्गत किया जा रहा है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

8. आवेदक ने कोई उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) कार्यप्रणाली प्रस्तावित नहीं की है। हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र तथा

पीसीएन कार्यप्रणाली, यदि कोई हो, के संबंध में अपनी टिप्पणियां/सुझाव इस जांच की शुरुआत की सूचना प्राप्त होने के प्रसार की तिथि से पंद्रह (15) दिनों के भीतर प्रस्तुत करें।

ख. समान वस्तु

9. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु तथा संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तुओं में कोई अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु तथा चीन जनवादी गणराज्य और यूरोपीय संघ से आयातित वस्तु भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। संबद्ध वस्तुएं तथा आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तुएं तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को चीन जनवादी गणराज्य तथा यूरोपीय संघ से उत्पादित एवं आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु के रूप में माना गया है।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

10. यह आवेदन सुपरफॉर्म केमिस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि वह भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक ने यह भी प्रमाणित किया है कि उसने न तो संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और न ही उसका संबद्ध देशों के निर्यातकों अथवा भारत में आयातकों से कोई संबंध है।

11. अभिलेख पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी संतुष्ट है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग है। आवेदन नियम 5(3) के अंतर्गत पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

12. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जनवादी गणराज्य तथा यूरोपीय संघ हैं।

ङ. जांच की अवधि

13. आवेदक ने जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 प्रस्तावित की थी। तथापि, प्राधिकारी ने जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक मानी है, जो कि 12 माह की अवधि है। क्षति जांच अवधि में वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा वर्तमान जांच अवधि सम्मिलित हैं।

च. पाटन का आधार

i. चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य

14. आवेदक ने चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख करते हुए उस पर भरोसा किया है तथा यह दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए तथा चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने हेतु निर्देशित किया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन एवं बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। जब तक चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादक ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के अस्तित्व को प्रदर्शित नहीं करते, उनका सामान्य मूल्य पाटन-रोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 एवं 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

15. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में लागत एवं मूल्य से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। आवेदक ने यह भी प्रस्तुत किया है कि चूंकि उत्पाद का कोई पृथक वर्गीकरण नहीं है, अतः किसी देश से अन्य देश को निर्यात मूल्य को विचार में नहीं लिया जा सकता। इसलिए, सामान्य मूल्य के प्रयोजनार्थ, आवेदक ने भारत में देय अथवा चुकाए गए मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। आवेदक द्वारा दावा की गई सामान्य मूल्य कार्यप्रणाली को जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया गया है।

ii. यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य

16. आवेदक ने दावा किया है कि उसे यूरोपीय संघ के घरेलू बाजार में उत्पादकों के वास्तविक विक्रय मूल्य से संबंधित कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। अतः आवेदक ने सामान्य मूल्य का दावा उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया है, जिसे विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा उचित लाभ मार्जिन के साथ समायोजित किया गया

है। आवेदक द्वारा दावा की गई सामान्य मूल्य कार्यप्रणाली को जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया गया है।

iii. निर्यात मूल्य

17. विचाराधीन उत्पाद के निर्यात मूल्य का निर्धारण डीजी सिस्टम के लेन-देन आधारित आयात आंकड़ों में रिपोर्ट की गई विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखते हुए किया गया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, बंदरगाह व्यय तथा ऋण लागत के संबंध में समायोजन का दावा किया गया है।

iv. पाटन मार्जिन

18. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना एक्स-फैक्टरी स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है। अतः इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हैं कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद का भारतीय घरेलू बाजार में पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति तथा कारणात्मक संबंध का साक्ष्य

19. आवेदक ने पारित आयातों के कारण हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा निरपेक्ष तथा सापेक्ष दोनों रूपों में बढ़ी है। पारित आयातों के कारण हुई मूल्य ह्रास ने कीमतों को पूर्ण लागत की वसूली तथा उचित प्रतिफल प्राप्त करने के स्तर तक पहुंचने से रोक दिया है। आवेदक अपनी क्षमता का उपयोग केवल एकल अंक के स्तर पर कर पा रहा है तथा वित्तीय हानियों, नकारात्मक नकद लाभ, ब्याज पूर्व हानि तथा नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल के साथ कार्य कर रहा है। इस प्रकार, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पारित आयातों के कारण आवेदक को क्षति पहुंचने के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हैं।

ज. पाटन-रोधी जांच की शुरुआत

20. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत पुष्ट लिखित आवेदन तथा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, उक्त पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा ऐसी क्षति और पारित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के

संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के उपरांत तथा अधिनियम की धारा 9A एवं पाटन-रोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार, प्राधिकारी एतद्द्वारा विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन के अस्तित्व, उसकी मात्रा एवं प्रभाव का निर्धारण करने तथा ऐसे पाटन-रोधी शुल्क की उचित मात्रा की सिफारिश करने हेतु, जो लगाए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त हो, पाटन-रोधी जांच प्रारंभ करता है।

झ. प्रक्रिया

21. वर्तमान जांच में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 में निहित प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

22. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) पर स्वयं को पंजीकृत करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों के सभी संचार एवं प्रस्तुतियां उनके पंजीकृत नाम तथा संबंधित मामला संख्या **एडी/ओआई/035/2026 (AD/OI/035/2026)** के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तुतियों का वर्णनात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में तथा आंकड़ों से संबंधित फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।

23. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित संबद्ध देशों की सरकारों के दूतावासों तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं से संबंधित ज्ञात आयातकों एवं उपयोगकर्ताओं को पृथक रूप से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय-सीमाओं के भीतर सभी प्रासंगिक सूचनाएं प्रस्तुत कर सकें।

24. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संबंधित अपनी प्रस्तुतियां कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति करने वाले पक्ष को उसी का एक अगोपनीय संस्करण अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

25. हितबद्ध पक्षकारों को इस जांच से संबंधित अद्यतन सूचनाओं के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (www.dgtr.gov.in) तथा सेतु पोर्टल (http://setu.dgtr.gov.in) का नियमित रूप से अवलोकन करने की सलाह दी जाती है। हितबद्ध पक्षकारों को प्रश्नावली प्रारूप, पीसीएन कार्यप्रणाली, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई संबंधी सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाएं तथा अन्य संबंधित सूचनाओं से अवगत रहने हेतु डीजीटीआर की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करना चाहिए।

ट. समय-सीमा

26. वर्तमान जांच से संबंधित सभी सूचनाएं हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके पंजीकृत नाम एवं संबंधित मामला संख्या एडी/ओआई/035/2026 **(AD/OI/035/2026)** के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों संस्करण, अर्थात् गोपनीय संस्करण (CV) तथा अगोपनीय संस्करण (NCV), पाटन-रोधी नियमावली, 1995 के नियम 6 (4) के अनुसार, पहचाने गए हितबद्ध पक्षकारों को जांच की शुरुआत की सूचना तथा अन्य दस्तावेजों के संप्रेषण अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषण की तिथि से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्दिष्ट अनुभागों में अपलोड किए जाएंगे। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण पाई जाती है, तो प्राधिकारी अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों एवं पाटन-रोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है।

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (जिसमें रुचि की प्रकृति भी शामिल है) की सूचना दें तथा उपर्युक्त समय-सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं दायर करें।

28. विचाराधीन उत्पाद (PUC) के कार्यक्षेत्र एवं पीसीएन कार्यप्रणाली पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 15 दिनों की अवधि इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।

29. विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन में संशोधन के कारण समय-विस्तार: यदि प्राधिकारी किसी पश्चातवर्ती सूचना के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद एवं पीसीएन में ऐसा संशोधन करता

है, जो पूर्व में प्रस्तावित नहीं था अथवा जो प्रारंभिक अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। यह अतिरिक्त अवधि संशोधित विचाराधीन उत्पाद एवं पीसीएन की अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ होगी। यह अतिरिक्त अवधि उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां जांच की शुरुआत के पश्चात विचाराधीन उत्पाद एवं पीसीएन कार्यप्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो। 15 दिनों की इस अवधि से अतिरिक्त समय-विस्तार के अनुरोधों पर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के तथा यह पाटन-रोधी नियमावली के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप होगा।

30. समय-विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षों द्वारा मूल समय-सीमा से कम-से-कम एक दिन पूर्व सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। इसके पश्चात प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

31. यदि वर्तमान जांच में कोई पक्ष प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर कोई प्रस्तुति करता है अथवा सूचना उपलब्ध कराता है, तो उसे नियमावली के नियम 7(2) तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी प्रासंगिक व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसी सूचना का एक अगोपनीय संस्करण साथ-साथ प्रस्तुत करना होगा। उपर्युक्त का अनुपालन न करने पर प्रतिक्रिया/प्रस्तुतियां अस्वीकार की जा सकती हैं।

32. प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी प्रस्तुति (तथा उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुलग्नक) करने वाले पक्षों को उसके गोपनीय एवं अगोपनीय संस्करण पृथक-पृथक दायर करने होंगे।

33. ऐसी प्रस्तुतियों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' अथवा 'अगोपनीय' अंकित होना चाहिए। इस प्रकार के अंकन के बिना प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज को प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय' माना जाएगा तथा प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

34. गोपनीय संस्करण में वह समस्त सूचना सम्मिलित होगी जो स्वभावतः गोपनीय है अथवा जिसे सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीय के रूप में चिह्नित करना चाहता है। ऐसी किसी भी सूचना के संबंध में, जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है, सूचना के आपूर्तिकर्ता को यह स्पष्ट करते हुए एक उचित कारण विवरण प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना का प्रकटीकरण क्यों नहीं किया जा सकता।

35. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचनाओं को यथासंभव अनुक्रमित अथवा (जहां अनुक्रमण संभव न हो) रिक्त कर दिया गया हो तथा ऐसी सूचना का उपयुक्त एवं पर्याप्त सारांश प्रस्तुत किया गया हो।

36. अगोपनीय सारांश में पर्याप्त विवरण होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय-वस्तु को युक्तिसंगत रूप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव नहीं है। ऐसे मामलों में, नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त कारणों सहित यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि सारांश तैयार करना क्यों संभव नहीं है।

37. हितबद्ध पक्षकार अन्य पक्षों द्वारा किए गए गोपनीयता दावों पर, दस्तावेजों के अगोपनीय संस्करण के प्रसार की तिथि से 7 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

38. सार्थक अगोपनीय संस्करण अथवा नियम 7 एवं प्रासंगिक व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त कारण विवरण के बिना प्रस्तुत किसी भी प्रस्तुति को प्राधिकारी अभिलेख पर नहीं लेगा।

39. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच के पश्चात गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकारी यह पाता है कि गोपनीयता का दावा उचित नहीं है अथवा सूचना का आपूर्तिकर्ता उसे सार्वजनिक करने अथवा सामान्यीकृत

अथवा सारांश रूप में प्रकट करने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकता है।

40. प्राधिकारी, सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने पर, सूचना प्रदान करने वाले पक्ष की विशिष्ट अनुमति के बिना ऐसी सूचना किसी अन्य पक्ष को प्रकट नहीं करेगा।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

41. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई प्रस्तुतियों के सभी अगोपनीय संस्करण अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

ढ. असहयोग

42. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने से इंकार करता है, निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकता है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे।

अमिताभ कुमार

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी